

नामिका दुखान

देषा क्रिया 31 2011/12 मिला क्रिया क्रिया क्रिया /  
 की नाकिह सभ्यद सभ्य व एके  
 पुनिवादी ल० 2 की नाकिह सभ्यद सभ्य व एके  
 लोसी 2019/20 सभ्यद सभ्यद सभ्य व एके  
 एत० पुनिवादि ल० 2 व विद्वय एव सभ्य  
 कापिवादी सुमान के लोसी जाती है  
 वादी एव लोषा सिसका सिमा 2011/19  
 के देषा एके

03/12

पुनिवादी ल० 2 की नाकिह सभ्यद सभ्य व एके  
 लोसी 2019/20 सभ्यद सभ्यद सभ्य व एके  
 एत० पुनिवादि ल० 2 व विद्वय एव सभ्य  
 कापिवादी सुमान के लोसी जाती है  
 वादी एव लोषा सिसका सिमा 2011/19  
 के देषा एके

09/12

पुनिवादी ल० 2 की नाकिह सभ्यद सभ्य व एके  
 लोसी 2019/20 सभ्यद सभ्यद सभ्य व एके  
 एत० पुनिवादि ल० 2 व विद्वय एव सभ्य  
 कापिवादी सुमान के लोसी जाती है  
 वादी एव लोषा सिसका सिमा 2011/19  
 के देषा एके

17/12

पुनिवादी ल० 2 की नाकिह सभ्यद सभ्य व एके  
 लोसी 2019/20 सभ्यद सभ्यद सभ्य व एके  
 एत० पुनिवादि ल० 2 व विद्वय एव सभ्य  
 कापिवादी सुमान के लोसी जाती है  
 वादी एव लोषा सिसका सिमा 2011/19  
 के देषा एके



असहायक अधिकाारी  
 कलकत्ता (सीकर)

डिकी मुकदमा इब्लदाई  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला  
बइजलास श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस.

1. घनश्याम कुम्हार पुत्र रूडाराम जाति कुमावत निवासी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. जरिये मुख्तयारनामा आम राजेश कुमार कुमावत पुत्र घनश्याम कुमावत जाति कुमावत निवासी दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

- (वादी)

बनाम

1. प्रभाती देवी पुत्री रूडाराम पत्नि कजोडमल जाति कुमावत निवासी दायरा हाल निवासी फतेहपुरा भूमियान तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
2. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

- (प्रतिवादीगण)


दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मु. नं. 153 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस.

ब हाजिरी श्री भजनाराम एड. मिनजानिब मुदई रूबरू ..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम बामरडा पटवार हल्का केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 341, 342 रकबा 0.94 है० सम्पूर्ण का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त ख. नं. से मृतक ग्यारसी पत्नि रूडाराम का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत .....

  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..... फीसदी महन्ताना आज की  
 तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।  
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 12 सन् 2019 को जारी की  
 गयी।

*Jr*  
 17/12/19  
 उपखण्ड अधिवक्ता  
 (सीकर)  
 ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

